5.7.25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रार्थना पत्र कि खारिजा आदेश दि० 28.1.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रकरण प्रा० पत्र स्वीकार कर पूर्व प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व पत्रावली बाबत मूल आदेश नीलाम का पुनः सुनवाई के प्रार्थना पत्र को ~~स्वीकार कर~~ पुनः लेने के आदेश दिये जाते हैं। यह प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाकर दर्ज रजि० से कम हो तथा सम्बन्धित मूल प्रा० पत्र 27/2022 को दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु रखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर